राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–791/2024

डॉ.बद्रीनारायण मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव (प्रशा.) आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव (प्रशा.), आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपेथी, विभाग, आयुष भवन, जयपुर

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कमल चमडिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, निम्बाहेडा, चित्तौडगढ में किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 13.01.2023 को पदस्थापित हुआ था और एक वर्ष पश्चात ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो स्थानान्तरण नीतियों के विरूद्ध जाकर किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में है। ऐसे में अपीलार्थी एवं उनकी पत्नी दोनों को निकट के स्थान पर ही पदस्थापित रखा जाना चाहिए था, परन्तु अपीलार्थी को सरकार की पति–पत्नी को निकट के स्थान पर पदस्थापित रखे जाने की नीति के विरूद्ध जाकर स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी को वर्तमान पद पर एक वर्ष पदस्थापित रखे जाने के पश्चात ही स्थानान्तरण किया गया है। ऐसे में यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई दुर्भावना रही हो। अपीलार्थी उदयपुर जिले में वर्ष 2003 से कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर जिले से बाहर 20 वर्ष पश्चात स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना होना प्रकट नहीं होता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)